उत्तराखंड में बाहरी लोगों के कृषि भूमि खरीदने पर रोक

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड **मंत्रिमंडल ने** एक नए मसौदा कानून को मंजूरी दी है, जो **हरिद्वार** और **उधम सिंह नगर** को छोड़कर 13 में से 11 ज़िलों में **राज्य के गैर-निवासियों द्वारा कृषि** और **बागवानी भूमि** खरीदने पर प्रतिबंध लगाता है।

मुख्य बिंदु:

- **भूमि खरीद पर प्रतिबंध: ज़िला मजिस्ट्रेटों के** पास अब भूमि खरीद को मंजूरी देने का अधिकार नहीं होगा।
  - राज्य के गैर-निवासियों को **धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकने के लिये भूमि खरीदने से पहले एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा,** जिसकी अंतिम मंजूरी राज्य प्रशासन के पास होगी।
- **ऑनलाइन निगरानी प्रणाली:** गैर-निवासियों से जुड़े भूमि लेनदेन को रिकॉर्ड करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये एक समर्पित पोर्टल बनाया जाएगा।
- **भूमि उपयोग के सख्त नियम:** नगरपालिका की सीमा के भीतर भूमि का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप भूमि पर सरकारी कब्ज़ा हो जाएगा।
- **हिमाचल प्रदेश से तुलना:** हिमाचल प्रदेश में गैर-कृषक स्वतंत्र रूप से कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन वे सरकारी अनुमोदन से **उद्योग, पर्यटन या बागवानी** के लिये इसे अधिगृहीत कर सकते हैं।
- **सरकार का रुख:** यह नया मसौदा **राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत** और **नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा,** साथ ही राज्य की मूल पहचान को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ban-on-outsiders-buying-agricultural-land-in-uttarakhand